निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 719) पटना, सोमवार, 24 जून 2019

सं० एल/एच०जी०– 2005/2016–6446
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
19 जून 2019

श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जमुई के विरूद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं कमजोर कार्यालय नियंत्रण से संबंधित आरोपों के लिए उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक–3928, दिनांक–01.09.2016 के द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित संलग्न करते हुए आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक–556, दिनांक– 23.01.2017 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–296, दिनांक–21.06.2017 द्वारा अपना बचाव अभिकथन समर्पित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–6963, दिनांक–28.07.2017 द्वारा महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना से मंतव्य की मांग की गई। महानिदेशक–सह–महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–3379, दिनांक–06.09.2017 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण पर महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना का मंतव्य विभाग में उपलब्ध कराया गया, जिसमें बचाव अभिकथन को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

3. सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(5)(क) के अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9374, दिनांक–01.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु श्री ईश्वरचंद्र सिन्हा, संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–589, दिनांक–09.04.2018 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3138, दिनांक–18.04.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन जिला समादेष्टा का कार्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, सुपौल के पत्रांक–1049, दिनांक–18.08.2018 द्वारा विभाग में प्राप्त हुआ।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत ''संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों पर रोक'' संबंधी दंड विनिश्चित किया गया।

6. आरोपित के विरूद्ध विनिश्चित दंड के संबंध में विभागीय पत्रांक–1211, दिनांक–01.02.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गई। आयोग के पत्रांक–180, दिनांक–25.04.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विनिश्चित ''संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धियों पर रोक'' संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति संसूचित की गई है।

7. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त आरोपित पदाधिकारी श्री दिलीप कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, भोजपुर, सम्प्रति जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जमुई के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के तहत ''संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों पर रोक'' का दंड संसूचित की जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विमलेश कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 719-571+10 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in